रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102020-222595
CG-DL-E-21102020-222595

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 20, 2020/आश्विन 28, 1942
No. 528] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2020/ASVINA 28, 1942

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि.650 (अ).—केंद्रीय सरकार, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 (2020 का 21) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) नियम 2020 को, उन बातो के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है,

अध्याय-I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) नियम, 2020 हैं।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारिख से प्रवत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ: इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों:-

(क) "अधिनियम" से कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 21); अभिप्रेत है;

(ख) "कृषि विपणन सलाहकार" से केन्द्रीय सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अधीन विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो नियमों मे प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

अध्याय-2

व्यापार क्षेत्र में व्यापार हेतु भुगतान प्रक्रिया

3. व्यापारी द्वारा भुगतान: वह व्यापारी जो खण्ड 4 के अधीन व्यापार क्षेत्र में किसान की उपज में किसान के साथ लेन-देन करता है, उसे प्रक्रिया के अधीन अपेक्षित उसी दिन अथवा अधिकतम तीन कार्य दिवस के भीतर किसान की व्यापारित अनुसूचित उपज का भुगतान करना होगा जो इस शर्त के अध्यधीन होगा कि प्ररूप-1 के अनुसार परिदान (डिलीवरी) की रसीद किसान को उसी दिन दे दी जाये।

4. किसान उत्पादक संगठन अथवा कृषि सहकारी समिति द्वारा भुगतान: किसान उत्पादक संगठन अथवा कृषि सहकारी समिति, चाहे जिस नाम से पुकारा जाये, निम्नलिखित रीति से भुगतान करेंगे अर्थात:-

(i) जहाँ यह प्राथमिक मूल्य संवर्द्धन, पैकेजिंग, लेबलिंग प्रक्रिया हेतु व्यापार क्षेत्र में किसान से उनके अनुसूचित उत्पाद एकत्र करता या क्रय करता है अथवा निर्यात करता है तथा उसके पश्चात उत्तम मूल्य पर विक्रयकर्ता है तो उसे ऐसे विक्रय के तुरन्त बाद किसान को भुगतान करना होगा किन्तु यह अवधि एकत्रण या खरीद की तारीख से चौदह दिनों से अधिक नहीं होगी और यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि प्ररूप-1 के अनुसार परिदान (डिलीवरी) की रसीद किसान को उसी दिन दे दी जाये।

परन्तु किसान और किसान उत्पादक संगठन अधिक पारिश्रमिक मूल्य की प्रत्याशा में और आपसी समझ पर, भुगतान में और विलम्ब कर सकते हैं, किन्तु यह अवधि एकत्रीकरण या खरीद की तारीख से इक्कीस दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए:

परन्तु यह और कि वे विलंबित भुगतान के मामले में आंशिक रूप से भुगतान करने का पारस्परिक विनिश्चय कर सकते हैं।

(ii) जहां वह अनुसूचित क्षेत्र के किसानों की उपज को व्यापार क्षेत्र में एकत्र करता या क्रयकर्ता और स्वयं इस तरह की उपज को कच्चे रूप में बेचता है, तो उसे ऐसे विक्रय के तुरंत पश्चात किसान को भुगतान करना होगा लेकिन यह अवधि एकत्रण या खरीद की तारीख से तीन दिनों से अधिक नहीं होगी यदि प्रक्रियात्मक रूप से इस प्रकार अपेक्षित हो और यह इस शर्त के अध्यधीन होगा कि प्ररूप-1 के अनुसार परिदान (डिलीवरी) की रसीद किसान को उसी दिन दे दी जाये।

अध्याय-3

किसानों से सम्बन्धित विवाद निपटान क्रियाविधि तथा शास्तियां

5. सुलह बोर्ड के माध्यम से विवाद का निपटारा : व्यापार क्षेत्र में किसान और व्यापारी के बीच संव्यवहार से उत्पन्न कोई भी विवाद पहले सुलह के माध्यम से पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान द्वारा हल किया जाएगा और उस प्रयोजन के

लिए विवादित पक्ष प्ररूप-2 के माध्यम से किसी भी रीति में, जिसमें ई-फाइलिंग भी शामिल है, विवाद की तारीख से चौदह दिनों के भीतर उस उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दाखिल कर सकते हैं जिसकी अधिकारिता में लेन-देन हुआ है या जहाँ किसान वास्तव में निवास करता या किसान की उपज उत्पादित करता है, जो भी सुविधाजनक हो;

परन्तु उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट विवादित पक्षों को युक्तियुक्त या उचित कारण पर विवाद की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर आवेदन दाखिल करने की अनुमति दे सकते हैं।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों के लिए, विवाद में क्वालिटी, मात्रा, वजन, भुगतान, पैकेजिंग, अस्वीकृति एवं ऐसे अन्य मुद्दों से संबंधित एक या अधिक मुद्दे शामिल हो सकते हैं।

6. सुलह बोर्ड की नियुक्ति: (1) उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, विवादित पक्षों से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से चौदह दिनों के भीतर एक सुलह बोर्ड की नियुक्ति करेंगे, जिसकी अध्यक्षता उनकी देखरेख और नियंत्रण

में सेवारत एक अधिकारी करेगा।

(2) उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, विवाद में शामिल प्रकृति, गुरुता और मौद्रिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए, एक साथ विवादित पक्षों की सिफारिश पर सुलह बोर्ड में तत्काल समान संख्या में सदस्यों की इस प्रकार नियुक्ति करेगा कि पक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त सदस्यों की कुल संख्या दो या चार हो:

किन्तु यदि पक्ष सात दिनों के भीतर सदस्यों को सिफारिश करने में विफल रहता है, तो उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट ऐसे सदस्यों को, जिन्हें वह उपयुक्त समझता हो, ऐसे पक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

7. सुलह बोर्ड द्वारा अनुपालनीय प्रक्रिया: सुलह बोर्ड द्वारा सुलह हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा अर्थात:-

(i) सुलह बोर्ड का अध्यक्ष प्रत्येक सुलह सत्र की तारीख एवं समय निर्धारित करेगा जिसमें सभी पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य होगी;

(ii) विवाद के प्रत्येक पक्ष को सुलह किये जाने वाले मुद्दों का संक्षिप्त ज्ञापन सुलह बोर्ड के पास प्रस्तुत करना होगा;

(iii) सुलह बोर्ड विवादकर्ता पक्षों से सुलह किये जाने मुद्दों के सम्बन्ध में अपेक्षित ऐसी अन्य सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है;

(iv) सामान्यत: सभी पक्ष सुलह बोर्ड द्वारा अधिसूचित सुलह सत्रों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे;

परन्तु विवादकर्ता पक्ष सुलह बोर्ड, की अनुमति से किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि किन्तु जो विधिक व्यवसायी न हो, के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

(v) यदि कोई पक्ष सुलह बोर्ड द्वारा निर्धारित सत्र में दो बार लगातार जानबूझकर उपस्थित नहीं होता है तो सुलह को असफल माना जायेगा और सुलह बोर्ड इस मामले की सूचना उप-प्रभागीय न्यायाधीश को देगा।

8. सुलह पूर्ण होने की समय-सीमा - (1) नियम 7 के अधीन सुलह की प्रक्रिया बोर्ड की नियुक्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

(2) विवाद के निपटारे पर, प्ररूप-3 में तदनुसार समझौता ज्ञापन तैयार किया जाएगा और विवादित पक्षों द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा और इसके पश्चात यह उन पर बाध्यकारी होगा।

(3) यदि विवाद का निपटारा नहीं हो पाता है, तो सुलह बोर्ड मुद्दों के सारांश, उन मुद्दों को हल करने के लिए किए गए प्रयासों, सुलह की विफलता के कारण और अन्य मामलों, जिसे सुलह बोर्ड समुचित मानता हो, का उल्लेख करते हुए एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करेगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन तैयार संक्षिप्त रिपोर्ट की एक प्रति उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और प्रत्येक पक्ष को प्रदान की जाएगी।

9. उप-विभागीय प्राधिकारी के माध्यम से विवाद का निपटारा: (1) यदि सुलह बोर्ड विवाद को हल करने में विफल रहता है या लेनदेन के पक्षकार तीस दिनों के भीतर विवाद को हल करने में असमर्थ हैं, जैसा कि नियम 7 के उप-नियम (1) में उल्लिखित है, तो असन्तुष्ट पक्ष चौदह दिनों के भीतर संबंधित उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट के पास प्ररूप-4 में आवेदन कर सकते हैं जो विवाद का फैसला करने के लिए उप-प्रभागीय प्राधिकारी होगा;

परन्तु उप-मंडल प्राधिकारी चौदह दिनों के बजाय असन्तुष्ट पक्ष को इक्कीस दिनों के भीतर इस तरह का आवेदन करने की अनुमति दे सकता है, यदि ऐसा पक्ष युक्तियुक्त या उचित कारण प्रस्तुत करता है।

(2) असन्तुष्ट पक्ष निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा:

(i) आवेदक द्वारा आवेदन सम्यक रूप में हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा तथा इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी दाखिल किया जा सकता है;

(ii) नियम 7 के उप-नियम (3) के अधीन सुलह बोर्ड द्वारा तैयार की गई संक्षिप्त रिपोर्ट की प्रति, समर्थित दस्तावेजों के साथ आवेदन के साथ होगी;

(iii) आवेदन/आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या एक अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया जा सकता है।

(3) उप-प्रभागीय प्राधिकारी-

(i) दोनों पक्षों को नोटिस जारी करेगा और वे अभिहित तारीख पर उप-प्रभागीय प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में भाग लेंगे;

(ii) परिस्थितियों और पक्षों द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य दस्तावेज को ध्यान में रखकर दोनों पक्षों को सुनेगा:

परंतु उप-प्रभागीय प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, तो विनिश्चय करने के लिए आवश्यक जांच कर सकता है।

(4) उप-प्रभागीय प्राधिकारी इसके दायर होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर एक यथोचित आदेश पारित करके धारा 8 की उप-धारा (7) के अधीन यथा उपबंधित संक्षिप्त रीति से संबद्ध पक्षों और उल्लंघनकर्ता के सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात विवाद अथवा उल्लंघनकर्ता का विनिश्चय लेगा।

10. अपीलीय प्राधिकारी: संबंधित जिले के कलेक्टर या जिले के कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर कलेक्टर, नियम 8 के उप-नियम (4) के अधीन उप-प्रभागीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील का विनिश्चय करने के लिए अपील प्राधिकारी होगा।

11. अपील के निपटान की प्रक्रिया: (1) उप-प्रभागीय प्राधिकारी के आदेश से व्यथित पक्ष, ऐसे आदेश के पारित होने के 30 दिनों के भीतर, प्ररूप-5 में या ऐसी अपील की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर कर सकता है:

परंतु अपील प्राधिकारी अपील को 30 दिनों के बजाय 45 दिनों के भीतर दायर करने की अनुमति दे सकता है, अगर ऐसे पक्ष विलंब के लिए युक्तियुक्त या उचित कारण दर्शाता है।

(2) अपीलार्थी अपील दायर करने में निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, अर्थात्-

(i) अपील ज्ञापन लिखित में होगा और अपीलकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा;

(ii) समर्थक दस्तावेजों के साथ उप-प्रभागीय प्राधिकारी के निर्णय की प्रमाणित प्रति अपील ज्ञापन के साथ होगी;

(iii) अपील ज्ञापन व्यक्तिगत रूप से या एक अधिवक्ता के माध्यम से दायर किया जा सकता है।

(3) संबंधित पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, अपील प्राधिकारी ऐसी अपील दायर करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर एक आदेश पारित करके अपील का निपटान करता है।

(4) उप-प्रभागीय प्राधिकारी द्वारा नियम 8 के उप-नियम (4) के अधीन पारित या अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में उप-नियम (3) के अधीन पारित आदेश अंतिम होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा; और इस तरह के आदेश का सिविल न्यायालय की डिक्री के समान बल होगा और ऐसे रूप में प्रवृतनीय होगा तथा ऐसी डिक्रीत रकम की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

अध्याय 4

इलैक्ट्रॉनिक व्यापार और संव्यव्हार मंच तथा शास्तियों का विनियमन

12. इलैक्ट्रॉनिक व्यापार और संव्यव्हार मंच के विनियमन की प्रक्रिया: धारा 9 की उपधारा (1) में यथा उल्लिखित किसी भंग के संज्ञान में आने पर कृषि विपणन सलाहकार अथवा उपधारा में निर्दिष्ट राज्य का अधिकारी निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा, अर्थात :-

(i) इलैक्ट्रॉनिक व्यापार और संव्यवहार मंच के स्वामित्व, नियंत्रण अथवा प्रचालन करने वाले व्यक्ति को यथा शीघ्र नोटिस जारी करे लेकिन किसी भी मामले में यह स्वत: संज्ञान लेने अथवा याचिका प्राप्ति अथवा किसी सरकारी एजेंसी से संदर्भ प्रति, जिसमें उल्लंघन का पक्ष सार हो की तारीख से 14 दिन से अधिक न हो और अभिहीत तारीख को कार्यवाही में शामिल होने के लिए उल्लंघनकर्ता को निदेश दें।

(ii) अभिकथित उल्लंघनकर्ता की परिस्थितियों और उसके द्वारा समर्थन में दिए गए दस्तावेजी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और संव्यवहार मंच में स्वामित्व, नियंत्रण अथवा प्रचालन करने वाले व्यक्ति की सुनवाई करेगा।

(iii) तथ्यों को अभिनिश्चित करने के लिए ऐसी अन्य जांच करना जो वह उचित समझे तथा निष्कर्ष पहुंचने के लिए अतिरिक्त कागजात के लिए कहना।

(iv) इलैक्ट्रॉनिक व्यापार और संव्यवहार मंच स्वामित्व, नियंत्रण अथवा प्रचालन वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अथवा अभिवक्ता के माध्यम से उत्तर दाखिल करवाने के लिए निदेश देना तथा और उसे अभिवक्ता द्वारा कार्यवाही में प्रतिनिधित्व के लिए अनुमति दी जा सकती है।

(v) अन्य एकपक्षीय आदेश पारित करना यदि इलैक्ट्रॉनिक व्यापार और संव्यवहार मंच के स्वामित्व, नियंत्रण अथवा प्रचालन वाला व्यकृति ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख के 14 दिनों के भीतर नोटिस का उत्तर देने में असमर्थ रहता हैं।

(vi) नोटिस के उत्तर की परीक्षा करना तथा तथ्यों को अभिनिश्चित करने के लिए कोई अन्य जांच करना तथा यदि आवश्यक हो तो उसे अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के निदेश देना।

(vii) उल्लंघन के स्वत: संज्ञान लेने की तारीख से अथवा सरकारी एजेंसी से याचिका अथवा संदर्भ की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर तार्किक आदेश जारी करके धारा 9 की उपधारा (।) में यथाउपबंधित रीति से संक्षिप्त में मामले का निपटान करना।

13. शास्ति अधिरोपित करना :(।) इलैक्ट्रॉनिक व्यापार और संव्यवहार मंच में स्वामित्व, प्रचालन अथवा नियंत्रण वाले व्यक्ति द्वारा धारा 5 की उपधारा (I) अथवा धारा 7 की उपधारा (2) के परंतुक के उपबंधों का उल्लंघन करने के मामले में कृषि विपणन सलाहकार अथवा धारा 9 में निर्दिष्ट राज्य का कोई अधिकारी जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित कार्य कर सकता है -

i. किसान तथा व्यापारी को देय रकम की वसूली के लिए आदेश पारित करना।

ii. शास्ति लगाना जो 50 हजार रूपए से कम नहीं होगी लेकिन उसे 10 लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकेगा और जहां उल्लंघन बार-बार हो, वहां अतिरिक्त शास्ति उल्लंघन में प्रथम दिन के पश्चात दस हजार रूपए प्रतिदिन होगी।

iii. अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन की गंभीरता पर निर्भर करते हुए इलैक्ट्रॉनिक व्यापार और संव्यवहार मंच का प्रचालन करने के अधिकार को दो माह से वेन्यून लेकिन एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विलंबित करना अथवा रद्द करना ।

(2) उप-नियम (I) के अधीन जारी प्रत्येक आदेश सिविल न्यायलय की डिक्री की भांति होगा तथा उसी की तरह प्रवृतनीय होगा तथा डिक्रीत रकम भूराज-स्व के बकाया के रूप में वसूली जाएगी।

14. अपील प्राधिकारी को अपील: (I) उस सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार में कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव से न्यून स्तर का अधिकारी इस नियम के अधीन अपील का विनिश्चय करने वाला अपील प्राधिकारी होगा।

(2) नियम 12 अथवा नियम 13 के अधीन कृषि विपणन सलाहकार अथवा राज्य अधिकारी, जैसा भी मामला हो, के आदेश से व्यथित व्यक्ति प्ररूप – 6 में अपील प्राधिकारी को इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग सहित अपील ऐसे आदेश पारित किए जाने की तारीख के साठ दिनों के भीतर दाखिल कर सकेगा:

परंतु कि अपील प्राधिकारी साठ दिनों की बजाए नब्बे दिनों के भीतर ऐसी अपील दायर करने की अनुमति दे सकता है, यदि अपीलार्थी उक्त अवधि के भीतर अपील नहीं किए जाने के लिए पर्याप्त कारण दर्शित करता है।

(3) प्रत्येक अपील निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी, अर्थात्-

(i) अपील ज्ञापन लिखित में होगा और अपीलकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा;

(ii) आदेश जिसके खिलाफ अपील की जा रही है, के समर्थक दस्तावेजों के साथ-साथ आदेश की प्रमाणित प्रति लगी होगी;

(iii) अपीलकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से या एक प्राधिकृत प्रतिनिधि या एक अधिवक्ता के माध्यम से अपील दायर की जा सकती है।

15. अपील का निपटान: - (1) संबंधित पक्षों को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात अपील प्राधिकारी ऐसीअपील दायर करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर अपील का संक्षिप्त रीति से निपटान करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश अंतिम और बाध्यकारी होगा, और सिविल न्यायालय की डिक्री के समान बल रखेगा और उसी प्रकार प्रवृतनीय होगा और डिक्रीत रकम, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

प्ररूप - 1

(नियम 3 एवं 4 देखें)

परिदान की पावती

पावती संख्या...........

तारीख ....

व्यापारी / एफपीओ / कृषि सहकारी समिति (क्रेता) का नाम ....

क्रेता का स्थायी पता ....

क्रेता के पत्राचार का पता ....

क्रेता का फोन / मोबाइल नंबर.. ..

पैन नंबर (व्यापारी के लिए) ....

किसान का नाम ....

किसान का पता ....

खरीदे गए किसानों के उत्पाद का विवरण ....

किसान के उत्पादों की क्वालिटी ....

क्रय स्थल ....

क्रय की तारीख... ..

क्रय की मात्रा ....

क्रय दर (रुपये/ क्विंटल) ....

कुल शेष राशि (रूपये) ....

भुगतान की तारीख और रकम ....

क्रेता का हस्ताक्षर

नाम-

दिप्पण: व्यापारी, एफपीओ और कृषि सहकारी समिति को क्रेता के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है।

प्ररूप - 2

(नियम 5 देखें)

मध्यस्थ की नियुक्ति करने के लिए उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दाखिल करने के लिए आवेदन

सेवा,

उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, दिनांक : ----------- ----------------------

महोदय,

किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) नियम, 2020 के नियम 5 की निबंधनों में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित विवादों का समाधान करने के लिए सुलह बोर्ड गठित करने के अनुरोध के साथ निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं :

क्र.सं.	विवरण	
1.	विवाद से संबंधित पक्षों का विवरण:	
(i)	किसान का नाम और पता , संपर्क संख्या के साथ यदि कोई हो	
(ii)	संपर्क नंबर के साथ व्यापारी का नाम और पता	
(iii)	विवाद की जानकारी	
(iv)	नुकसान / क्षति का अनुमानित मूल्य	
2.	संपर्क संख्या के साथ संस्तुत सुलहकर्ता का नाम और पता (यथा प्रायोज्य) :	
(i)	पार्टी के प्रतिनिधि (अधिकतम दो)	(क) (ख)
(ii)	चाहा गया अनुतोष	
3.	संलग्नक	
(i)	पैन कार्ड की प्रति (व्यापारी के मामले में)	

<table>
<tr><td>(ii)</td><td>इस आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य</td></tr>
<tr><td colspan="2">मेरी / हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार, उपर्युक्त सूचना सही है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
(यथा प्रयोज्य)

किसान / व्यापारी</td></tr>
</table>

प्ररूप -3

[(नियम 8 (2) *देखें*)]

समझौता ज्ञापन

1. अध्यक्ष का नाम और पदनाम

2. प्रथम विवादी (किसान) का नाम और पता

    (i) किसान का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम मध्यस्थ का नाम और पता

    (ii) किसान का प्रतिनिधित्व करने वाले द्वितीय मध्यस्थ का नाम और पता

3. द्वितीय विवादी (व्यापारी) का नाम और पता

    (i) व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम मध्यस्थ का नाम और पता

    (ii) व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने वाले द्वितीय मध्यस्थ का नाम और पता

4. विवाद का संक्षिप्त कथन (अधिकतम 300 शब्द)

5. समझौता का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 200 शब्द)

6. हम, दोनों विवादी इसके साथ उपर्युक्त के अनुसार विवाद के समझौते पर आपसी सहमति व्यक्त करते हैं और तदनुसार हम तत्काल समझौते को लागू करने का संकल्प लेते हैं।

7. यदि विवाद का समाधान नहीं होता है तो किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) नियम, 2020 के नियम 8 के अधीन यथा अपेक्षित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करें (अधिकतम 200 शब्द)

पक्षों का हस्ताक्षर

प्रथम विवादी का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
(किसान)

द्वितीय विवादी का हस्ताक्षर
(व्यापारी)

सुलह बोर्ड के अध्यक्ष का हस्ताक्षर

1. ------------- 2.--------------- 3.----------- 4.---------

(विवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर)

प्रति: (i) क्षेत्र के उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट

(ii) सुलह बोर्ड के अध्यक्ष

(iii) सुलह बोर्ड का प्रत्येक सदस्य ।

प्रारूप -4

[(नियम 9 (1) *देखें*)]

विवाद निपटान के लिए उप - प्रभागीय प्राधिकारी को आवेदन

सेवा में,

उप-प्रभागीय प्राधिकारी,

महोदय,

किसान उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 की धारा 9 की उपधारा (5) के निबंधनों में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित विवादों का समाधान करने के लिए सुलह बोर्ड गठित करने के अनुरोध के साथ निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं :

<table>
<tr><td>क्र.सं.</td><td colspan="2">विवरण</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">विवाद का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 300 शब्द)
[संलग्नक यदि आवश्यक हो तो संलग्न किया जाए]</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">सुलह बोर्ड का परिणाम
[बोर्ड की संक्षिप्त रिपोर्ट संलग्न की जाए]</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">चाहा गया अनुतोष</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">पक्ष (नाम और पता)</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>आवेदक</td><td></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>प्रत्यर्थी</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान</td></tr>
<tr><td colspan="3">संलग्नक:
(i) व्यापारी का पैन (व्यापारी के मामले में)
(ii) तथ्य के समर्थन में अन्य कोई दस्तावेज</td></tr>
</table>

प्रारूप -5

[(नियम 11 (1) देखें]

अपील प्राधिकारी के लिए ज्ञापन का रूपविधान

1. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण:

(i) टेलीफोन / मोबाइल *नंबर* के साथ अपीलार्थी का नाम और पता

(ii) टेलीफोन / मोबाइल *नंबर* के साथ प्रत्यर्थी का नाम और पता

[* *व्यापारी के मामले में पैन नंबर और ई-मेल आईडी प्रस्तुत की जाए*]

2. आदेश, जिनके विरुद्ध अपील दायर किया गया है और अपील का विवरण (दस्तावेजों के साथ आदेश की प्रति संलग्न की जाए):

(i) अपील के विरूद्ध आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी

(ii) विनिश्चिय किए जाने/ आदेश पारित किए जाने की तारीख

(iii) आदेश की तामील की तारीख

वसूली से संबंधित आदेश जो -------- अथवा ------------ को देय (हां / नहीं)

(iv) यदि हां, तो वसूली की राशि रूपये -------------------------- देय -----

(v) शास्ती से संबंधित आदेश (हां / नहीं)

(vi) यदि हाँ, तो शास्ती की रकम रुपये में

(vii) यदि और कोई हो, कृपया विनिर्दिष्ट करें

3. अपील का आधार एवं अतिरिक्त दस्तावेज:

(i) अपील का आधार (प्रत्येक आधार जो 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए) -

(क)

(ख)

(ग)

(ii) उप-प्रभागीय प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेज से भिन्न अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो,

4. अपील का विवरण:

(i) क्या अपील दायर करने में देरी हुई है (हां / नहीं)

(ii) यदि 4 (i) हां है, तो विलंब की माफी के आधारों का उल्लेख करें (अधिकतम 100 शब्द)

(iii) अपील के लिए भुगतान की गई फीस का विवरण

5. किसी भी अंतरिम अनुतोष के उल्लेख के साथ चाहा गया अनुतोष अर्थात स्थगन आदेश (अधिकतम 100 शब्दों में)

सत्यापन का प्ररूप

मैं, --------------------------------- अपीलार्थी, एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि जो कुछ भी ऊपर कहा गया है मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से अधिनियम के सुसंगत उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों की परीक्षा कर ली है।

स्थान: मुहर के साथ अपीलार्थी का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक:

प्रारूप -6

[(नियम 14 (2) देखें]

नियम 14 (2) के अधीन अपील प्राधिकारी को अपील करने के लिए ज्ञापन का रूपविधान

1. अपीलार्थी का व्यक्तिगत विवरण:

(i) टेलीफोन / मोबाइल *नंबर* तथा ई-मेल आईडी के साथ अपीलार्थी का नाम और पता

(ii) *पैन नंबर*

2. आदेश, जिनके विरुद्ध अपील दाखिल की गई है और अपील का विवरण (दस्तावेजों के साथ आदेश की प्रति संलग्न की जाए):

(i) अपील के विरूद्ध आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी

(ii) विनिश्चय किए जाने/ आदेश पारित किए जाने की तारीख

(iii) आदेश की तामील की तारीख

(iv) वसूली से संबंधित आदेश, किसान एवं व्यापारी का देय (हां / नहीं)

(v) यदि हां, तो वसूली की राशि रूपये -------------------------- देय -----

(vi) शास्ती से संबंधित आदेश (हां / नहीं)

(vii) यदि हाँ, तो वसूली की रकम रुपये में

3. अपील का आधार एवं अतिरिक्त दस्तावेज:

(i) अपील का आधार (प्रत्येक आधार जो 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए) -

(क)

(ख)

(ग)

(ii) कृषि विपणन सलाहकार के समक्ष कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किए गए दस्तावेज से भिन्न अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो,

4. अपील का विवरण:

(i) क्या अपील दायर करने में देरी हुई है (हां / नहीं)

(ii) यदि 4 (i) हां है, तो विलंब के लिए माफी के आधारों का उल्लेख करें (अधिकतम 100 शब्द)

(iii) अपील के लिए भुगतान की गई फीस का विवरण

5. किसी भी अंतरिम अनुतोष के उल्लेख के साथ चाहा गया अनुतोष अर्थात स्थगन आदेश (अधिकतम 100 शब्दों में)

<u>सत्यापन का प्ररूप</u>

मैं, -------------------------------- अपीलार्थी, घोषणा करता हूं कि जो कुछ भी ऊपर कहा गया है मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से अधिनियम के सुसंगत उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों की परीक्षा कर ली है।

स्थान: मुहर के साथ अपीलार्थी का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक:

[फा. सं. 26011/3/2020- एम- II]

विवेक अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2020

G.S.R. 650 (E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020 (21 of 2020) and in supersession of the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Rules, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely.-

CHAPTER- I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires.-

(a) "Act" means the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020 (21 of 2020);

(b)"Agriculture Marketing Adviser" means Agriculture Marketing Adviser in the Directorate of Marketing and Inspection under the Department of Agriculture, Co-operation and Farmers' Welfare of the Central Government;

(c) "section" means a section of the Act;

(d) Words and expressions used in the rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings as assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

Payment Procedure for Trade in Trade Area

3. Payment by Trader.- A trader who transacts with a farmer in farmers' produce in the trade area under section 4, shall make payment for traded scheduled farmers' produce on the same day or within maximum three working days if procedurally so required, subject to the condition that the receipt of delivery as in Form -1 shall be given to the farmer on the same day.

4. Payment by farmer producer organisation or agricultural cooperative society.- A farmer producer organisation or an agricultural co-operative society, by whatever name called, shall make payment in the following manner, namely:-

(i) where, it aggregates or buys the scheduled farmers' produce from a farmer in the trade area for primary value addition, packaging, labelling processing or export and thereafter sells at a better price, it shall make payment to the farmer immediately after such sale, but not later than fourteen days from the date of aggregation or purchase subject to the condition that the receipt of delivery as in Form-1 shall be given to the farmer on the same day:

Provided that the farmer and the farmer producer organisation may, in anticipation of more remunerative price and on mutual understanding, further delay the payment, but not exceeding twenty-one days from the date of aggregation or purchase:

Provided further that they may mutually decide to make the part payment in case of delayed payment.

(ii) where, it aggregates or buys the scheduled farmers' produce from farmer in the trade area and sells such produce in raw form itself, it shall make the payment immediately after such sale, but not later than three days from the date of aggregation or purchase, if procedurally so required, subject to the condition that the receipt of delivery as in Form-1 shall be given to the farmer on the same day.

CHAPTER-III

Disputes Settlement Mechanism Pertaining to Farmers and Penalties

5. Dispute settlement through Conciliation Board.- Any dispute arising out of transaction between the farmer and the trader in the trade area shall be first resolved through mutually acceptable solution through conciliation and for that purpose, the disputing parties may file an application in Form-2 through any mode, including e-filing, within fourteen days from the date of dispute to the Sub-Divisional Magistrate having jurisdiction in a place where the transaction has taken place or farmer actually resides or produces farmers' produce, whichever is convenient:

Provided that the Sub-Divisional Magistrate may allow the disputing parties to file application within twenty-one days from the date of dispute on a reasonable or justifiable cause.

Explanation.- For the purposes of this rule, a dispute may include one or more issues relating to quality, quantity, weighing, payment, packaging, rejection, and such other issues.

6. Appointment of conciliation board.- (1) The Sub-Divisional Magistrate shall, within fourteen days from the date of receipt of the application from disputing parties, appoint a conciliation board, which shall be chaired by an officer serving under his supervision and control.

(2) The Sub-Divisional Magistrate shall, considering the nature, gravity and monetary value involved in the dispute, simultaneously appoint members as recommended by the disputing parties, to the conciliation board, in equal numbers such that total number of appointed members to represent the parties shall be either two or four:

Provided that if the party fails to recommend members within seven days, the Sub-Divisional Magistrate may appoint such members as it thinks fit, to represent such parties.

7. Procedure to be followed by conciliation board.- For conciliation, the following procedure shall be followed by the conciliation board, namely.-

(i) the chairperson of the conciliation board shall fix the date and the time of each conciliation session, where all parties have to be present;

(ii) each disputing party shall provide to the conciliation board a brief memorandum setting forth the issues, which need to be resolved;

(iii) the conciliation board may ask disputing parties to furnish such other information as may be required by it in connection with the issues to be resolved;

(iv) the parties shall ordinarily be present personally at the conciliation sessions notified by the conciliation board:

Provided that the disputing parties may be represented by an authorised person with the permission of the conciliation board, but not by any legal practitioner;

(v) if a party fails to attend a session fixed by the conciliation board deliberately or wilfully for two consecutive times, conciliation shall be deemed to have failed and the conciliation board shall report such matter to the Sub-Divisional Magistrate.

8. Time limit for completion of conciliation.- (1) The process for conciliation under rule 7 shall be completed within a period of thirty days from the date of appointment of board.

(2) On settlement of the dispute, a Memorandum of Settlement shall be drawn accordingly, in Form-3 and duly signed by the disputing parties and thereupon, it shall be binding upon them.

(3) In case the dispute is not settled, the conciliation board shall prepare a brief report stating the brief issues, efforts made by it to resolve those issues, the cause for failure of conciliation and any other matters that the conciliation board deems appropriate.

(4) A copy of the brief report prepared under sub-rule (3) shall be provided to the Sub-Divisional Magistrate and to each of the parties.

9. Dispute settlement through Sub-Divisional Authority.- (1) If the conciliation board fails to resolve the dispute or the parties to the transaction are unable to resolve the dispute within thirty days as mentioned in sub-rule (1) of rule 7, an aggrieved party may, within fourteen days therefrom, make an application in Form-4 to the concerned Sub-Divisional Magistrate who shall be the Sub-Divisional Authority to decide the dispute:

Provided that the Sub-Divisional Authority may allow an aggrieved party to file such application within twenty-one days instead of fourteen days, if such party shows reasonable or justifiable cause for the delay.

(2) An aggrieved party shall comply with the following requirements, namely.-

(i) the application shall be duly signed and verified by the applicant, and may also be filed electronically;

(ii) the copy of the brief report prepared by the conciliation board under sub-rule (3) of rule 7, along with supporting documents shall accompany the application;

(iii) the application may be filed personally by the applicant or through an advocate.

(3) The Sub-Divisional Authority shall—

(i) issue notice to both parties and they shall attend proceedings before the Sub-Divisional Authority on the designated date;

(ii) hear both the parties by taking into account circumstances and the documentary evidence provided by the parties:

Provided that the Sub-Divisional Authority may, if required, make necessary inquires to arrive at its decision.

(4) The Sub-Divisional Authority shall decide the dispute or contravention in a summary manner as provided under sub-section (7) of section 8 by passing a reasoned order within thirty days from the date of its filing, after giving an opportunity of being heard to the concerned parties and the contravener.

10. Appellate authority.-The Collector of the concerned district or the Additional Collector nominated by the Collector of the district shall be the Appellate Authority, to decide the appeal against the order passed by the Sub-Divisional Authority under sub-rule (4) of rule 8.

11. Procedure for disposing of an appeal.- (1) A party aggrieved by the order of the Sub-Divisional Authority may, within thirty days of the passing of such order, file an appeal to the Appellate Authority in Form-5 or by electronic filing of such appeal:

Provided that the appellate authority may allow the appeal to be filed within forty-five days instead of thirty days, if such party shows reasonable or justifiable cause for the delay.

(2) The appellant shall comply with the following requirements in filing appeal, namely.-

(i) the appeal memo shall be in writing and duly signed and verified by the appellant;

(ii) the certified copy of the decision of the Sub-Divisional Authority along with supporting documents shall accompany the appeal memo;

(iii) the appeal memo may be filed personally or through an advocate.

(3) The Appellate Authority dispose of the appeal by passing an order within thirty days from the date of filing of such appeal, after giving the concerned parties a reasonable opportunity of being heard.

(4) The order under sub-rule (4) of rule 8 passed by the Sub-Divisional Authority or under sub-rule (3) passed in appeal by the appellate authority shall be final and binding on all parties; and such order shall have the force of the decree of the civil court and shall be enforceable as such, and the decretal amount shall be recovered as arrears of land revenue.

CHAPTER IV

Regulation of Electronic Trade and Transaction Platform and Penalties

12. Procedure for regulating Electronic Trade and Transaction Platform.- After taking cognizance of any breach as mentioned in sub-section (1) of section 9, the Agricultural Marketing Adviser or the officer of the state referred to in that sub-section shall comply with the following procedure, namely:-

(i) issue notice to the person owning, controlling or operating an electronic trade and transaction platform , as soon as possible, but in no case later than fourteen days from the date of taking *suo moto* cognizance or receiving a petition or a reference from any Government agency, mentioning therein brief of the contravention and direct the contravenor to attend the proceedings before it on the designated date;

(ii) hear the person owning, controlling or operating an electronic trade and transaction platform by taking into account circumstances and the documentary evidences provided in support by the alleged contravenor;

(iii) conduct such other enquires to ascertain facts as he deems fit, and may ask for additional documentary evidences to arrive at the conclusion;

(iv) direct the person owning, controlling or operating an electronic trade and transaction platform to file a reply either personally or through an advocate, and may permit him to be represented in the proceedings by an advocate;

(v) pass an *ex-parte* order if the person owning, controlling or operating electronic trade and transaction platform fails to submit reply in response to the notice within fourteen days from the date of receipt of such notices;

(vi) examine the reply to the notice and make any other enquiry to ascertain facts and direct him to file additional documentary evidence, if necessary;

(vii) dispose of the matter in a summary manner as provided in sub-section (1) of section 9 by passing a reasoned order within sixty days from the date of taking *suo moto* cognizance of the contravention or receipt of the petition or reference from the Government agency.

13. Imposition of Penalty.- (1) In case of contravention of the provisions of proviso to sub-section (1) of section 5 or sub-section (2) of section 7 by the person owning, operating or controlling an electronic trading and transaction platform, the Agriculture Marketing Adviser or, as the case may be, the officer of the State referred to in section 9, may-

(i) pass an order for the recovery of the amount payable to the farmers and traders;

(ii) impose a penalty, which shall not be less than rupees fifty thousand but which may extend to rupees ten lakh, and where the contravention is a continuing one, further penalty not exceeding rupees ten thousand for each day after the first day during which such contravention continues; or

(iii) suspend the right to operate as an electronic trading and transaction platform for a period of not less than two months and not exceeding one year or cancel, depending upon the gravity of the contravention of the provisions of the Act.

(2) Every order issued under sub-rule (1) shall have the force of the decree of the civil court and shall be enforceable as such, and the decretal amount shall be recovered as arrears of land revenue.

14. Appeal to Appellate Authority.- (1) An officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture, Co-operation and Farmers' Welfare, of the Central Government, nominated by that Government, shall be the Appellate Authority to decide the appeal filed under this rule.

(2) The party aggrieved by the order of the Agriculture Marketing Adviser or the State Officer under rule 12 or rule 13, as the case may be, may, within sixty days of the date of passing of such order may file an appeal including electronic filing, to the Appellate Authority, in Form-6:

Provided that the Appellate Authority may allow such appeal to be filed within ninety days instead of sixty days, if the appellant shows sufficient cause for not preferring the appeal within the said period.

(3) Every appeal shall comply with the following requirements, namely.-

(i) the appeal memo shall be in writing and duly signed and verified by the appellant;

(ii) the certified copy of the order being appealed against, along with supporting documents;

(iii) the appeal may be filed by the appellant in person or through an authorised representative or an advocate.

15. Disposal of Appeal.- (1) The Appellate Authority shall dispose of the appeal in a summary manner within ninety days from the date of filing of such appeal, after giving a reasonable opportunity of being heard to the concerned parties.

(2) The order passed in appeal by the Appellate Authority under sub-rule (1) shall be final and binding, and have the force of the decree of the civil court and shall be enforceable as such, and the decretal amount shall be recovered as arrears of land revenue.

FORM-1

(*See* rules 3 and 4)

RECEIPT OF DELIVERY

Receipt No………...

Date ……………….

Name of the Trader/FPO/Agri Coop. Society (Buyer)………………………….

Permanent Address of the Buyer………………………………

Address of Communication of Buyer………………………….

Phone/Mobile Phone No of Buyer………………………………………..

PAN NO (for Trader)………………………………………………….

Name of Farmer………………………………………..

Address of Farmer……………………………………

Description of Farmer Produce Purchased…………………………

Quality of Farmers' Produce……………………………………….

Place of Purchase………………………………………………

Date of Purchase...

Quantity of Purchase………………………………..

Rate of Purchase (Rs./Qtl)………………………………

Total Amount Due (Rs.)……………………………………

Date and amount of Payment……………………………………

Signature of Buyer

Name-

Note: Trader, FPOs and Agriculture Cooperative Society are referred to as Buyer

FORM-2

(*See* rule 5)

Application for filing the dispute with Sub-Divisional Magistrate to appoint Conciliation Board

To,

The Sub-Divisional Magistrate, Date: ---------------------------------

Sir,

In terms of Rule 5 of the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Rules, 2020, the following information is furnished by the undersigned with a request to constitute a conciliation board to resolve the dispute described below:

S. No.	Particulars	
1.	Details of disputing parties :	
(i)	Name and address of farmer with contact number, if any.	
(ii)	Name and address of trader with contact number	
(iii)	Brief of dispute	
(iv)	Estimated value of loss/damage	
2.	Name and address of recommended conciliators with contact no (as applicable):	

(i)	Representing the Party (up maximum two)	(a) (b)
3.	Relief Sought	
4.	Enclosure	
(i)	Copy of PAN card (in case of trader)	
(ii)	Documentary evidence in support of facts stated in this application	
To the best of my/our knowledge and belief, the above stated information is correct.		
		Signature/thumb expression of Applicant (As applicable) Farmer /Trader

FORM -3

[(*See* rule 8(2)]

Memorandum of Settlement

1.Name and designation of Chairperson

2.Name and address of 1st disputant (farmer)

(i) Name and address of 1st conciliator representing farmer

(ii) Name and address of 2nd Conciliator representing farmer

3.Name and address of 2nd disputant (trader)

(i) Name and address of 1st conciliator representing trader

(ii) Name and address of 2nd conciliator representing trader

4.Brief recital of the dispute(maximum 300 words)

5. Brief of the settlement (maximum 200 words)

6. We, both disputants, herewith express our mutual consent with the settlement of dispute as aforesaid and accordingly we resolve to implement the settlement resolution forthwith.

7. If dispute is not settled, brief report as required under Rule 8 of the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Rules, 2020(max. 200 words)

Signature of the parties

Signature/Thumb expression of 1st disputant Signature of 2nd disputant

(Farmer) (Trader)

Witnesses (Name with Signature)

(1)

(2)

Signature of

Chairperson of Conciliation Board

1 2 3 4

(Name and signature of other members representing the disputants)

Copy to: (i)Sub-Divisional Magistrate of the jurisdiction .

(ii) Chairperson of the conciliation board .

(iii) Every member of the conciliation board.

FORM-4

[(*See* rule 9(1)]

Application to the Sub-Divisional Authority for dispute settlement

To, Date:

The Sub -Divisional Authority,

Sir,

In terms of sub-section (5) of section 9 of the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020, the following brief of the disputes, related facts and related documents are furnished by the undersigned with a request to resolve the dispute mentioned below.

Serial No.	Particulars	
1.	Brief of Dispute (max. 300 words) [Enclosure may be attached if necessary]	
2.	Consequence of conciliation board [Brief report of the board to be attached]	
3.	Relief Sought	
4.	Parties (Name and Address)	
(i)	Applicant	
(ii)	Respondent	
		Signature/ Thumb Impression of Applicant
Enclosures: (i) PAN of trader(in case of trader) (ii) Any other document supporting the fact		

FORM-5

[(*See* rule 11(1)]

Format for Memorandum of Appeal to the Appellate Authority

1. Personal details of Appellant and Respondent:

(i) Name and address of appellant with telephone/mobile no.

(ii) Name and address of respondent with telephone/mobile no

[* *In case of trader PAN and e-mail ID may also be furnished*]

2. Order against which appeal is filed with appeal details (copy of order along with documents to be attached):

(i) Authority passing the order appealed against

(ii) Date of decision/order passed

(iii) Date of serving the order

Order relates to recovery payable to --------or ------------(Yes/No)

(iv) If Yes, amount of Recovery in. Rs-------------------------Payable to-----

(v) Order relates to penalty(Yes/No)

(vi) If Yes, amount of Penalty in Rs.

(vii) Any other, please specify

3. Ground of appeal and additional documents:

(i) Ground of appeal (each ground should not exceed 100 words) -

(a)

(b)

(c)

(ii) Additional documentary evidences , if any, other than produced during proceeding before Sub-Divisional Authority

4. Appeal filing details:

(i) Whether there is delay in filing the appeal (Yes/No)

(ii) If 4(i) is Yes, mention the ground for condonation of delay (maximum. 100 words)

(iii) Details of appeal fee paid

5. Relief sought with mention of any interim relief i.e. stay order (in max. 100 words)

<u>Form of verification</u>

I, -------------------------------- the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief. It is also certified that I have personally gone through the relevant provisions of the Act and the rules framed thereunder.

Place: Name and signature of the appellant with seal

Date:

FORM-6

[(*See* rule 14(2)]

Format for Memorandum of Appeal to Appellate Authority under rule 14(2)

1. Personal details of Appellant:

(i)Name and address of appellant with telephone/mobile no. and e-mail id

(ii)PAN No.

2. Order against which appeal is filed with appeal details (copy of order along with documents to be attached):

(i) Authority passing the order appealed against-

(ii) Date of decision/order passed---

(iii) Date of serving the order--

(iv) Order relates to recovery payable to farmers and traders-(Yes/No)

(v) If Yes, amount of Recovery Rs-----------------------------Payable to-----------

(vi) Order relates to penalty(Yes/No)

(vii) If Yes, amount of total recovery in Rs.—

3. Ground of appeal and additional documents :

(i) Ground of appeal (each ground should not exceed 100 words)

(a)

(b)

(c)

(iii) Additional documentary evidences , if any, other than produced during proceeding before the Agriculture Marketing Adviser

4. Appeal filing details:

(iv) Whether there is delay in filing the appeal(Yes/No)

(v) If 4(i) is Yes, mention the ground for condonation of delay (in maxi. 100 words)

(vi) Details of appeal fee paid

5. Relief sought with mention of any interim relief i.e. stay order (in max. 100 words)

Form of verification

I, -------------------------------- the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief. It is also certified that I have personally gone through the relevant provisions of the Act and the rules framed thereunder.

Place Name and signature of the appellant with seal

Date

[F. No. 26011/3/2020-M-II]

VIVEK AGGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM